**संख्या-34/2026//001-390-23-12-2026-2031452**

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2026

विषय:- सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात केन्द्रीय मार्ग निधि(सी0आर0एफ0) योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद हरदोई के 01 चालू कार्य पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-13027बीजी/ IOCL-CRF/2025-26, दिनांक 10.03.2026 एवं पत्र सं0-13653बीजी/IOCL-CRF/2025-26, दिनांक 27.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात केन्द्रीय मार्ग निधि (सी0आर0एफ0) योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद हरदोई के 01 चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 14.08 लाख (रूपये चौदह लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्रम सं0 | खण्ड/ जनपद का नाम | मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक | मार्ग का नाम | स्वीकृत मूल लागत | अब तक आवंटन | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | हरदोई/ नि0ख0 | 1991/23-12-16-549/2017ए दिनांक 19.12.2017 | सण्डीला-गौसगंज-मल्लावां-मैंहदीघाट मार्ग (0.000 से 20.750 किमी0) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य | 4695.00 | 4684.18 | **14.08** |
| | | | | | **योग** | **14.08** |

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) केन्द्रीय मार्ग निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष तथा मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्तर पर पुन: सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तुत मांग वित्त विभाग के कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 यथा संशोधित दिनांक 14.05.2025 के अनुरूप है, जिसका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,08,000 (रूपये चौदह लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखाशीर्षक** 5054048000421 सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों के लिए व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या-34/2026//001-390(1)-23-12-2026-2031452तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।